—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 98/2021

उनवान

1. प्रेम
2. चूकी पि. रघुनाथ समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम ढाल, नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री संदीप अग्रवाल

बनाम

1. हरलाल
2. घीसू
3. गोपाल
4. कालू
5. प्रधान पि. जूजाराम समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम ढाल, नसीराबाद
6. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 6 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 व धारा 151 सी.पी.सी.

—: आदेश :— दिनांक :— 26.11.24

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम ढाल के हाल खसरा नम्बर 155/4434, 156 व 157 में प्रार्थीगण का 1/9 हिस्सा व खसरा नमबर 3277, 3278, 3373, 3374, 3376, 3377, 3447, 3448 व 3449 पर प्रार्थीगण का 1/6 हिस्सा है। प्रार्थीगण द्वारा उपनी उक्त आराजी बाबत एक पंजीकृत हकतयाग विलेख नारायण मुतबन्ना रघुनाथ के पक्ष मे दिनांक 19.03.13 को निष्पादित कर दिया था, जिसका नामान्तकरण राजस्व रिकार्ड में नही किया गया। उत आराजी में से खसरा नम्बर 155/4434, 156 व 157 में नारायण का 1/3 हिस्सा व शेष खसरा नमबर 3277, 3278, 3373, 3374, 3376, 3377, 3447, 3448 व 3449 में नारायण का 1/2 हिस्सा का पंजीकृत दान पत्र प्रार्थीगण के हक में दिनांक 25.3.13 को निष्पादित कर दिया गया। उक्त दानपत्र का नामान्तकरण भी प्रार्थीगण के हक में नही हुआ है। किन्तु दान पत्र अनुसार प्रार्थीगण का मुतनाजा पर हक निहित है। प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि पर शांतिपूर्वक तरीके से काबिज है। अप्रार्थीगण अपने हिस्से में

—2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:13:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

कम भूमि दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे है तथा भूमि पर दखलदांजी कर रहे है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 5 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने इस प्रकरण में जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

प्रथम दृष्टया मामला :–

ग्राम ढाल के हाल खसरा नम्बर 155/4434, 156 व 157 में प्रार्थीगण व खसरा नमबर 3277, 3278, 3373, 3374, 3376, 3377, 3447, 3448 व 3449 की आराजी प्रार्थीगण व अन्य व्यक्तियों की सह खातेदारी की है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्ष 2013 के दान पत्र का अंकन किया है। तथा लगभग 9 वर्ष बाद उक्त आवेदन पत्र पेश किया है। अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर दखल करने के तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही तय होगे। अप्रार्थीगण किस प्रकार आराजी मुतनाजा में दखलदांजी कर रहे है यह प्रार्थी सिद्व नही कर पाये है। प्रकरण प्रथम दृष्टया विरूद्व प्रार्थीगण सिद्व होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण वर्ष 2013 के दान पत्र के आधार पर अनुतोष चाहते है। अप्रार्थी उक्त आराजी का बैचान नही कर सकते है। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व नही होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में नही है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी विरूद्व प्रार्थीगण सिद्व होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः ग्राम ढाल आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:13:20 IST
Reason: SelfAttested